न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.
गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 03/2016

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		साबिर खां पुत्र असरफ खां उर्फ असलम खां जाति सिपाही मुसलमान निवासी 21, रांगणिया मोहल्ला, पाली हाल बजरंग बाडी, थाना कोतवाली, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 27.03.2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 13.07.2017 को गैरसायल साबिर खां पुत्र असरफ खां उर्फ असलम खां जाति सिपाही मुसलमान निवासी 21, रांगणिया मोहल्ला, पाली हाल बजरंग बाडी, थाना कोतवाली, पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली, पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2002 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	कोतवाली	602/22.10.02	13 RPGO	दि. 30.10.2012 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 100/– रूपये जुर्माना
2	कोतवाली	528/07.10.03	13 RPGO	दि. 03.112.003 को एसीजेएम कोर्ट, पाली से 2 दिवस का कारावास
3	कोतवाली	610/13.11.03	13 RPGO	दि. 02.12.03 को एसीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
4	कोतवाली	41/15.01.04	13 RPGO	दि. 06.05.04 को एसीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
5	कोतवाली	379/09.08.07	13 RPGO	दि. 17.08.07 को सीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
6	कोतवाली	135/09.04.10	13 RPGO	दि. 26.04.10 को सीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
7	कोतवाली	145/12.04.10	13 RPGO	दि. 22.04.10 को सीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
8	कोतवाली	142/09.04.12	13 RPGO	दि. 18.04.12 को सीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
9	कोतवाली	222/16.05.12	13 RPGO	दि. 25.05.12 को एसीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
10	कोतवाली	471/22.10.12	13 RPGO	दि. 05.11.12 को सीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

11	कोतवाली	494/05.11.12	13 RPGO	दि. 23.11.12 को सीजेएम कोर्ट, पाली से 100/– रूपये जुर्माना
12	कोतवाली	614/15.11.14	13 RPGO	चालान नम्बर 363/28.11.2015
13	कोतवाली	439/12.09.15	13 RPGO	चालान नम्बर 249/17.09.2015
14	कोतवाली	215/05.05.15	13 RPGO	चालान नम्बर 94/11.05.2015

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल साबिर खां पुत्र असरफ खां उर्फ असलम खां जाति सिपाही मुसलमान निवासी 21, रांगणिया मोहल्ला, पाली हाल बजरंग बाडी, थाना कोतवाली, पाली जुए के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन जुहारी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

ए0पी0पी0 एवं गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गेरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गेरसायल किसी भी रूप में जुऐ का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 229/2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रूपये के जुर्माना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 179/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 427/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल साबिर खां पुत्र असरफ खां उर्फ असलम खां जाति सिपाही मुसलमान निवासी 21, रांगणिया मोहल्ला, पाली हाल बजरंग बाडी, थाना कोतवाली, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली से निष्काषित कर जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा निर्धारित थाने में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल साबिर खान, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। गैरसायल को आदेश दिये जाते है कि वह तत्काल पाली जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा निर्धारित थाने से सम्बन्धित थानाधिकारी गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी कोतवाली पाली, जिला पाली एवं जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक **27.03.2018** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली